Neutral Citation No. -

2025:AHC:43775-DB

**<u>न्यायालय संख्या – 42</u>**

**वाद** – आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 5668 सन् 2025

**याचिकाकर्ता** – बंटी और 2 अन्य

**प्रतिवादी** – उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

**याचिकाकर्ता के अधिवक्ता** – नीतू सिंह, निशांत कुमार, प्रशांत कुमार भारद्वाज

**प्रतिवादी के अधिवक्ता** – शासकीय अधिवक्ता

**<u>माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी</u>**

**<u>माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार</u>**

1. अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं। यद्यपि, हमने अभिलेख का अवलोकन किया है।

2. यद्यपि, इस रिट याचिका में प्रार्थना यह है कि 08-03-2025 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो केस क्राइम नंबर 80/2025 के रूप में धारा 115(2), 118(1), 351(3) BNS के तहत, पुलिस स्टेशन औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर में दर्ज है, उसे रद्द किया जाए, लेकिन रिकॉर्ड देखने पर ऐसा लगता है कि जिन अपराधों की शिकायत की गई है, उनमें केवल सात साल तक की सज़ा है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी करने से पहले, CrPC के सेक्शन 41(1)(b) और सेक्शन 41-A / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के

Translated version. not for legal use

सेक्शन 35(3) से 35(7) में दिए गए खास प्रावधानों का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई फैसलों में दिए गए कानून के अनुसार सख्ती से पालन किया जाए।

3. हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट देखी है, जिसमें पहली नज़र में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराधों का पता चलता है और इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने की प्रार्थना को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ***स्टेट ऑफ़ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 SCC 779 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र और अन्य (2021) SCC ऑनलाइन SC 315*** के मामलों में दिए गए कानून के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस तरह, हमारा मानना है कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. यद्यपि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायत किए गए सभी अपराधों के लिए सात साल तक की सज़ा हो सकती है, इसलिए, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी करने के मामले में, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी/अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CrPC की धारा 41(1)(b) और धारा 41-A / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) से 35(7) में दिए गए खास प्रावधानों और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ***अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में (2014) 8 SCC 273*** में जारी किए गए दिशानिर्देशों के साथ-साथ इस कोर्ट द्वारा ***आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 17732/2020 (विमल कुमार और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) में 28/01/2021 को दिए गए फैसले और आदेश जो 2021 (2) ACR 1147*** में रिपोर्ट किया गया है, में जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

:

,

Translated version: not for legal use

**आदेश दिनांक** : 26.03.2025

पीकेएस

(माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)  (माननीय न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी)

Translated version. not for legal use

:

,